

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं0 2(3)चिस्वा/2/2016


जयपुर, दिनांक 13.06.2019

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डॉ. पदम चंद जैन, जन्मतिथि 01.01.1957, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 11.07.2011 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर 12 वर्ष ओर अधिक तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2012 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर पदोन्नत किया जाता है।

डॉ. जैन दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव